

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक,

भू-गर्भ जल निदेशालय, राँची;

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 21/7/18

विषय :-

मॉग संख्या-50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-24-नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण, विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50S470200796240759 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) /4702- लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना / 24-नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण	07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50S470200796240759	35.382

आवंटित राशि -₹ पैंतीस लाख अड़तीस हजार दो सौ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध रू. 40.00 लाख (चालीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1363(वि.) दि. 09.05.2016 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत परिशिष्ट 1 में वर्णित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

(आर.एस. तिग्गा)  
अभियंता प्रमुख

8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 दिसम्बर 2018 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


  
(अरुण कुमार सिंह) 20-7-18  
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :- 39


राँची, दिनांक :- 21/7/18


प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

  
(आर.एस. तिग्गा)  
अभियंता प्रमुख

  
(अरुण कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

क्रांक - 29

/संघी, दिनांक -

21/2/18

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)  
मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय  
लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना,  
उपशीर्ष - 24-नई योजनाओं का भूगर्भ जल सर्वेक्षण /कृत्रिम पुनर्भरण एवं जल संरक्षण,  
विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय, 59 अन्य व्यय विपत्र कोड 50S470200796240759  
बजट उपबंध (वर्ष 2018-19) रु. 40.00 लाख (चालीस लाख) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र०	कार्यालय का नाम	जिला	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2018 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि		
1	उप निदेशक, भू-गर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, राँची (RNC/RR009)	राँची	उप निदेशक, भू-गर्भ जल निदेशालय, राँची	भू-गर्भ निदेशालय, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन परिशिष्ट-1 एवं II (प्रशासनिक स्वीकृति) का अनुसूची 32 अंतर्गत रूप टैग रिचार्ज सिट का निर्माण, जियोफिजिकल सर्वे, 32 अंतर्गत मोनेटरिंग वेल का निर्माण एवं 4 अंतर्गत Auto level के क्रय हेतु।	69/18-19 प्र.स्वी. दिनांक-25.05.2018	10.000	0.000	0.000	6.000	6.000	33180	पर्यावरण मंत्रालय 2018 में स्वीकृत एवं आरंभ अंशिकरण हेतु
2	उप निदेशक, भू-गर्भ जल सर्वेक्षण प्रमंडल, दुमका (DMK/RR020)	दुमका	उप निदेशक, भू-गर्भ जल निदेशालय, राँची	भू-गर्भ निदेशालय, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन परिशिष्ट-1 एवं II (प्रशासनिक स्वीकृति) का अनुसूची 32 अंतर्गत रूप टैग रिचार्ज सिट का निर्माण, जियोफिजिकल सर्वे, 32 अंतर्गत मोनेटरिंग वेल का निर्माण एवं 4 अंतर्गत Auto level के क्रय हेतु।	69/17-18 प्र.स्वी. दिनांक-28.12.2017	123.294	0.000	0.000	8.000	8.000	33179	Geo-Physical Survey, Construction of Recharge Pits and Construction of Monitoring wells of 5 No. Sites (As per detail of Concerned AA) Purchase of 2 Nos. Auto Level (As per detail of Concerned AA)
योग							0.000	0.000	26.691	26.691		
कुल योग							0.000	0.000	35.382	35.382		

आवंटित राशि - ₹ पैंतीस लाख अड़तीस हजार दो सौ मात्र।

(राजेश प्रसाद)

उप सचिव (अभि.)

(समेश कुमार दूबे)

विशेष सचिव

(आर.एस. सिन्हा)

अभियंता प्रमुख

(अरुण कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

20.7.18